उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-29/2018/04/92-2-18-10जॉच/2016,

लखनऊ:: दिनांक:: 09 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद चित्रकूट में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्राम कोपा, विकास खण्ड-मऊ (चित्रकूट) में केसी0 ड्रेन व सी0सी0 रोड के निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट की जांच आख्या दिनांक 06.09.2016 के अनुसार रू0 2,56,333.00 की शासकीय क्षति हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-12/2017/10/92-2-17-10(जांच)/2016, दिनांक 04.01.2017 द्वारा श्री प्रमोद कुमार दिवेदी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-197/92-2-2017-10(जांच)/2016, दिनांक 31.01.2017 द्वारा श्री प्रमोद कुमार दिवेदी के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी से नियमानुसार जांच कर जांच आख्या 01 माह मे उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री प्रमोद कुमार को दिनांक 25.03.2017 को तामील कराया गया। अपचारी अधिकारी ने अपना बचाव उत्तर जांच अधिकारी को दिनांक 30.05.2017 को प्रेषित किया, जो जांच अधिकारी को दिनांक 09.06.2017 को प्राप्त हुआ।

3- जांच अधिकारी की जांच आख्या उनके पत्र दिनांक 08.08.2017 द्वारा शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 31.10.2017 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन/अभिकथन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 06.12.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या मे प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री प्रमोद कुमार के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप संख्या-1 तथा आरोप संख्या-3 प्रमाणित पाया गया है जो निम्नवत है:-

वर्ष 2014-15 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कुल चयनित 22 समग्र ग्रामों के आन्तरिक गलियों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण हेतु संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-685/23-9-2012-3स0वि0/2012, दिनांक 13.12.2012 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नही किया गया है। प्रखण्ड-चित्रकूट के कार्यकाल अवधि के मध्य उनके द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्राम-कोपा विकास खण्ड-मऊ में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य, जिसकी स्वीकृति लागत रू0 30.00 लाख थी, जिसका अनुबंध सं0-38/ईई/2014-15, दिनांक 31.03.2015 अनुबंध की कुल धनराशि रू0 27,12,488.30 मात्र थी, जो कि श्री संतोष कुमार पाण्डेय, पुत्र श्री दीनबन्धु पाण्डेय, ग्राम व पो0-छीबों के नाम गठित कर श्री मो0 शफीक, अवर अभिंयता, ग्रामीण अभियत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट के द्वारा कराये गये कार्य का मापांकन आंशिक रूप से चेक करने के उपरान्त प्रथम एवं अन्तिम बीजक पारित कर भुगतान किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट को प्रेषित किया गया है। उनके द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्रांक-2435/ग्रा0अ0से0/नियोजन/92, दिनांक 05.11.1992 में निर्धारित ठेकेदारी प्रथा में कम से कम 25 प्रतिशत मापी चेक करने के निर्देश दिये गये है, जिसका अनुपालन उनके द्वारा पूर्णत: नहीं किया गया। निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-जी-272/ग्रा0अ0वि0/ डा0लो0से0/चित्रकूट-84/2015-16, दिनांक 04.02.2016 के क्रम में मुख्यमंत्री संदर्भ से आच्छादित ग्राम कोपा की जांच करायी गयी, जिसकी जांच अधीक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट धाम बांदा द्वारा दिनांक 27.05.2016 एवं 10.08.2016 द्वारा किये जाने के पश्चात् अधीक्षण अभियन्ता परिमण्डल-चित्रकूट धाम बांदा के पत्रांक-485, दिनांक 06-09-2016 द्वारा जांच आख्या में पाया गया कि कंक्रीट की वाटर सीमेंट अनुपात मात्रा अधिक होने एवं कंक्रीट मिक्स 1:2:4 (सीमेंट, कोर्स सेंट एवं स्टोन ग्रिट) ठीक न होने के कारण ऊपर की गिट्टी अधिकतम भाग में उखडी पायी गयी, जिससे स्पष्ट होता है कि निर्माण कार्य के समय उनके द्वारा निरीक्षण नही किया गया एवं कंक्रीट पेवमेंट कास्ट करने एवं काम्पैक्शन के तुरन्त बाद कंक्रीट के नाम-प्लास्टिक होने से पहले सतह की फ्लोट/कन्ने की मदद से फिनिश तथा स्टील अथवा फाइबर के ब्रुश से ब्रोमिंग/टैक्स्चरिंग किया जाना चाहिए था, जो कि नही किया गया। निर्मित गलियों में कान्स्ट्रक्शन ज्वाइंट भी निर्मित नहीं है, जिसके कारण निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप नही पाया गया है जिसके लिये उनको उत्तरदायी पाया गया।

इसी प्रकार सी0सी0 रोड के किनारों की गोलाई, के0सी0ड्रेन का निर्माण निर्धारित ड्राइंग के अनुसार, सरफेश, बाईब्रेटर, पिन बाईब्रेटर का प्रयोग नही किया गया है। ग्राम कोपा का प्राक्कलन सं0-22, दिनांक 20.01.2015 में अंकित ग्रामों की गलियों का उनके द्वारा निरीक्षण किये बिना प्राक्कलन तैयार किया गये। प्राक्कलन में दर्शायी गयी गलियों की लम्बाई एवं चौडाई में अन्तर पाया गया। उक्त कार्य के प्राक्कलन में मोरम के कार्य हेतु 5 गलियों में प्राविधान किया गया था, परन्तु जांच के समय मोरम नही पाई गयी, जैसा कि उक्त कार्य के जांच आख्या से स्पष्ट होता है। इस प्रकार माप पुस्तिका संख्या-एल-12 के पेज नं0-34 से 57 में अवर अभियन्ता श्री मो0 शफीक के द्वारा मोरम की मात्रा का मापांकन किया गया है। जिसमें मोरम की मात्रा 156.89 घन मीटर दर 1512.60 प्रतिघन मी0 रू0 2,37,311.81 मात्र का भुगतान उनके द्वारा पारित किया गया। प्राक्कलन के अनुसार निर्मित गलियों में ज्वाइंट फिलिंग का प्राविधान किया गया है, परन्तु जांच के समय किसी भी गली में ज्वाइंट फिलिंग का कार्य नही पाया गया, लेकिन उक्त माप पुस्तिका के अनुसार मात्र 308.90 मी0 दर 38.90 प्रतिमी0 से रू0 12,016.21 का भुगतान किया गया है। आर0सी0सी0 वर्क इन ड्रेन कवर मात्रा 0.70 घन मी0 दर 58.58 प्रति घन मी0 से रू0 4217.76 एवं स्टील वर्क इन कवर मात्रा 0.46 कुन्टल दर 60.60 प्रति कुन्तल से रू0 2787.60 इस प्रकार रू0 2,37,311.81, रू0 12016.21, रू0 4217.76, रू0 2787.60 कुल रू0- 2,56,333.38 का ठेकेदार द्वारा बिना निर्माण कार्य कराये बिल भुगतान हेतु उनके द्वारा पारित किया गया है, जो कि पूर्णत: शासकीय धन की क्षति है। स्वेच्छाचारिता पूर्वक ठेकेदार से दुरभिसंधि करते हुये उनके द्वारा अधिक भुगतान कर शासकीय क्षति पहुंचाई गयी। प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्रांक-2474/62-3-09-88आरई/06, दिनांक 14.07.2009 में दिये गये आदेशानुसार कुल शासकीय क्षति की धनराशि रू0 2,56,333.00 मात्र के 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1,28,167.00 मात्र के लिये संबंधित ठेकेदार उत्तरदायी/दोषी है तथा अवशेष धनराशि रू0 1,28,166.00 मात्र में 50 प्रतिशत रू0 64,083.00 धनराशि के लिये अवर अभियंता तथा 35 प्रतिशत धनराशि रू0 44,858.00 के लिए श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियंता एवं 15 प्रतिशत धनराशि रू0 19,225.00 का (अधिशासी अभियंता) जिसमें श्री एन0के0 त्रिपाठी रू0 15,180.00 एवं श्री बालकृष्ण, अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड-चित्रकूट रू0 4045.00 के लिये उत्तरदायी/दोषी है। इस प्रकार श्री दिवेदी को शासन की नीतियों की अवहेलना करते हुये विपरीत स्वेच्छापूर्वक आचरण करने, कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 कर्तव्य के प्रति निष्ठावान न होने, शासकीय क्षति पहुचाने के लिये उत्तरदायी पाया गया।

5- श्री प्रमोद कुमार दिवेदी जो दिनांक 29.02.2016 को सेवानिवृत्त हो गयें है, जिससे उनके विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का औचित्य नहीं रह जाता है। अत: प्रश्नगत प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 2,56,333.00 में से अपचारी अधिकारी के अंश रू0 44,858.00 की धनराशि की वसूली जो उनसे की जानी थी, उसे श्री प्रमोद कुमार दिवेदी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा दिनांक 06.12.2017 को राज कोष में जमा कर दी गयी है के दृष्टिगत उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/2017/10/92-2-17-10(जांच)/2016, दिनांक 04.01.2017 द्वारा सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-29/2018/04(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री प्रमोद कुमार दिवेदी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

http: /shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।